Deposit by public sector institutions *to* Associate Bank of SBI

1050. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to prevent the depositing by the public sector instiutions to the Associate Banks of State Bank of India; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHARA MURTHY): (a) and (b) In the light of the recommendations of the Joint Parliamentary Committee (IPC) which enquired into the irregularities in securities and banking transactions, Government have laid down guidelines governing investment of surplus funds by Public Sector Enterprises (PSEEs) to avoid recurrence of misuse of funds. The said guidelines, jnter-alia, provide that investments may be made by the PSEs in term deposits with any scheduled commercial bank with a paid up capital of at least Rs. 100 crores, fulfilling the capital adequacy norms as prescribed by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The question of amending the guidelines to take into accounts the net worth of a bank instead of paid up capital is under consideration of the Government.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

1051. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है :

(ख) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंक-वार ऋण गुणों की क्या स्थिति थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थव्यवस्था की गतिहीनता

1052. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था तेजी से गतिहीनता की ओर बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विशेष उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

बकाया उत्पाद शुल्क

1053. श्री ईश दत्त यादव :
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरौला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीब 160 कम्पनियों पर उत्पाद शुल्क बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो गत नवम्बर, तक उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की उक्त राशि प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं और इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राजस्व बकाया के बारे में सूचना कम्पनी-वार नहीं रखी जाती है। तथापि, 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार

पंजीकृत इकाइयों/निर्धारितियों के नाम बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि 2658.47 करोड़ रुपये है ।

(ग) बकाया राशियों में वसूल करने के लिए कानून के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किये जाते हैं । अपीलीय प्राधिकारियों तथा न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों के निपटान कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से निम्न-लिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) अपीलीय समाहर्ताओं द्वारा मामलों के निपटान कार्य की लगातार समीक्षा और मानीटरिंग ;

(ii) महत्वपूर्ण मामलों में से पेश होने के लिए विशेष फीस/अधिक फीस/ वाले वकीलों की नियुक्ति करना ।

(iii) एक पक्षीय स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए कैविएट दायर करना।

(iv) एक जैसे मामलों के एक साथ शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के पंजीयकों को मामले-वार मामलों की सूचियां उपलब्ध कराना ।

(v) स्थगन आदेशों की रद्द करवाने के लिए आवेदन दायर करना।

(vi) केवल सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क के मामलों पर विचार करने के लिए ही अलग से पीठों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करने हेतु प्रधान समाहर्ताओं तथा समाहर्ताओं द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मिलना।

(vii) विधि सचिव तथा वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग के अन्य अधिकारियों के स्तर पर अवधिक पुनरीक्षा बैठकें भी की जाती हैं ।

(viii) उन शुल्कों की विलम्बित अदायगी पर ब्याज लेने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के संगत उपबंधों को संशोधित करने के लिए वित्त विधेयक, 1995 में भी प्रस्ताव किया गया है, जिनकी पुष्टि कर दी गयी है।

बैंकों की सुरक्षा

1054. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों को सुरक्षा प्रदान कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) बैंकों के करेंसी चेस्टों सहित महत्वपूर्ण अधिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है । इस समय, भारतीय स्टेट बैंक के कुछ करेंसी चेस्टों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के करेंसी चेस्टों की सुरक्षा राज्य पुलिस या पंजाब में आई टी बी पी और सी आर पी एफ/बी एस एफ जैसे अन्य अर्ध-सैनिक बलों द्वारा की जाती है, जो करेंसी चेस्टों के परिचालन क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखाओं की सुरक्षा बैंकों के अपने गार्डों द्वारा की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों में, विभागीय जांच

1055. श्री आस मोहम्मद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध विभागीय तथा/अथवा अदालतों में ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही है जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा/अथवा सीमा शुल्क अपवंचन सौ करोड़ रु. से अधिक है ;